POSTAL REG. NO. RJ/JPC/M-17/2012-14 (RNI.REG.NO. 39658/1983) # ग्रा.ग./2012/अंक 05

कृपया इसे चौराहे पर चिपकाइये

मासिक प्रेषण दि. 8 मई, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 मई, 2012 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! राज्य विधान सभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त मंत्री के रूप में वर्ष 2012-13 का बजट रखा। उन्होंने इस बार सभी को खुश करने की कोशिश की। आमजन को उनकी भलाई और विकास के सपने दिखाए हैं। कई छोटी-मोटी राहतें देने की घोषणाएं भी की गई हैं।

बजट में बुनियादी जरूरतों जैसे बिजली, पानी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क आदि पर खासतौर से ध्यान दिया गया है। बेरोजगारों, किसानों, छात्रों, महिलाओं व अल्पसंख्यकों को राहत देने की बात भी की गई है। पैट्रोल-डीजल पर वैट कम नहीं करना लोगों को अखर रहा था, मद्देनजर पैट्रोल पर से दो फीसदी वैट कम किया गया है। गरीबों के लिए बनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कम्प्यूटराइज कर इसे भ्रष्टाचारमुक्त बनाया जाएगा।

बजट के जानकार लोगों ने इस बार के बजट की सराहना की। जबकि कुछ लोगों की नजर में यह चुनावी बजट बन कर रह गया है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री ने केवल घोषणाएं कर वाहवाही लूटने का प्रयास किया है। ज्यादातर घोषणाएं कागजों में सिमट कर रह जाती है।

खैर, जो भी हो.. सरकारी बजट 'आंकडों का जाल' होता है और आम ग्रामीण सही रूप में उसे समझ नहीं पाता। इसलिए 'ग्राम गदर' में समय-समय पर गांवों से सम्बन्धित बजट घोषणाओं को सरल व तार्किक रूप में प्रकाशित किया जाता रहेगा, ताकि ग्रामीणजन इन घोषणाओं के सरकारी अमल पर नजर रख सकें और लाभान्वित हो सकें।

जब्त होगी काली कमाई - राज्य विधान सभा में विधेयक पारित

भ्रष्ट तरीकों से कमाई गई संपत्ति अब जब्त कर ली जाएगी। राजस्थान विधान सभा में इस सम्बन्ध में लाए गए 'राजस्थान विशेष न्यायालय विधेयक 2012' को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है। इस विधेयक के दायरे में सरपंच से लेकर मुख्यमंत्री तक रहेंगे। जो भी व्यक्ति सरकारी खाते से वेतन-भत्ते प्राप्त करता है, वह इस कानून के दायरे में आएगा। इस विधेयक का सीधा सम्बन्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने पर रोक लगाने से है।

- इन मामलों की सुनवाई के लिए सरकार विशेष न्यायालय खोलेगी। इनमें जिला सत्र न्यायाधीश स्तर का अधिकारी होगा तथा प्राधिकृत अधिकारी की भी नियुक्ति की जाएगी।
- सरकार आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के वर्तमान में चल रहे मुकदमों या नये आने वाले मुकदमों को विशेष न्यायालय में सुनवाई के लिए भेज सकती है।
- आय से अधिक संपत्ति के मामले में भष्टाचार निरोधक ब्यूरो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करेगा साथ ही यदि आयकर विभाग को लगता है कि सम्पत्ति से आयकर चोरी की है, तो वह भी अलग से कार्रवाई कर सकेगा।
- अवैध संपत्ति जब्त करने के लिए सरकार लोक अभियोजक के माध्यम से प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष मय सबूतों के आवेदन करेगी। अगर आरोपी व्यक्ति विशेष न्यायालय या हाईकोर्ट से बरी हो जाता है तो उसकी जब्तशुदा संपत्ति अथवा धन उसे लौटा दिया जाएगा।

आईसीआईसीआई बैंक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना

बरकत नगर की शान्ति निकेतन कॉलोनी निवासी रजनीकान्त शर्मा ने आईसीआईसीआई बैंक से 2008 में एक लाख 75 हजार रुपए का ऋण लिया था, जिसे 48 किश्तों में चुकाना था। कुछ किश्तें चुकाने के बाद 31 जनवरी 2009 को उन्हें बैंक के अनुसार ब्याज सहित एक लाख 66 हजार 677 रुपए 43 पैसे चुकाने थे। उन्होंने उसी दिन 1,66,677 रुपए का चैक बैंक में जमा करा दिया।

लेकिन बैंक ने अगले महीने 43 पैसे का बकाया बता कर स्टेटमेंट जारी कर दिया। इसपर उन्होंने बैंक को एक रुपए का चैक देकर नो-ड्यूज प्रमाण-पत्र भेजने का आग्रह किया। उन्हें आश्चर्य तो तब हुआ जब बैंक ने मई 2009 में विलम्ब शुल्क और सेवाकर जोड़ते हुए उन्हें 1032 रुपए 55 पैसे बकाया का स्टेटमेंट भिजवाया। बैंक की इस कार्रवाई के खिलाफ हारकर उन्होंने जिला उपभोक्ता मंच, जयपुर में परिवाद दायर किया।

उपभोक्ता मंच ने मामले की सुनवाई पर बैंक की कार्रवाई को अनुचित ठहराया। बैंक को बाकी रहे 43 पैसे को राइट ऑफ कर देना चाहिए था, क्योंकि यह राशि 50 पैसे से कम थी। मंच ने इसे बैंक द्वारा ग्राहकों को लूटने का जीता जागता उदाहरण माना और बैंक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना ठोका। मंच ने जुर्माने में से 25 हजार रुपए परिवादी रजनीकान्त को देने और बाकी रकम राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष में दिए जाने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा बैंक परिवादी को परिवाद व्यय के रूप में 5000 रुपए भी अलग से देगा।

'हालात सर्वे' ने किया देश की खास समस्याओं पर सोचने को मजबूर

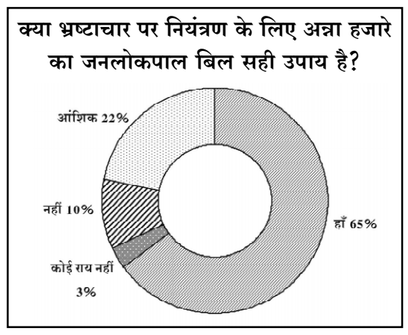

भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए 65 फीसदी लोगों ने अन्ना हजारे के जनलोकपाल बिल को सही व कारगर उपाय माना है। इसके अलावा 22 फीसदी लोगों ने भी अन्ना के लोकपाल बिल को आंशिक रूप से सही बताया। इस प्रकार राजस्थान के 87 फीसदी लोग अन्ना के जन लोकपाल बिल को अपना समर्थन देते हैं।

उक्त तथ्य 'कट्स' द्वारा प्रदेश में कराए गए 'हालात सर्वे' नामक सर्वेक्षण से सामने आए हैं। यह सर्वे केन्द्रीय सरकार के काम-काज का आंकलन, खास ज्वलंत समस्याओं जैसे भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी तथा लोकपाल बिल आदि पर राजस्थान के लोगों की प्रतिक्रिया जानने के मकसद से किया गया। सर्वे में राज्य के सभी जाति, समुदाय व वर्गों के 554 लोगों ने अपनी राय व्यक्त की है।

सर्वे के विश्लेषण पर यह उभर कर आया कि प्रदेश का चाहे शहरी इलाका हो या ग्रामीण, 73 फीसदी लोगों ने लोकपाल के दायरे में प्रधानमंत्री, न्यायपालिका, सीबीआई सहित सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को लाना उचित ठहराया है। इसके अलावा 13 फीसदी लोग भी आंशिक रूप से इसी पक्ष में शामिल हैं।

लोगों की नजर में वर्तमान में देश की सबसे ज्वलंत समस्या भ्रष्टाचार है। इस पर100 फीसदी लोगों ने अपनी मुहर लगाई। वहीं वरीयता क्रम में क्रमशः 84 फीसदी ने बेरोजगारी, 80 फीसदी ने आतंकवाद और 78 फीसदी लोगों ने मंहगाई को मुख्य समस्या के रूप में उजागर किया है। 63 फीसदी लोग भ्रष्टाचार और कालाबाजारी को देश में महंगाई बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार ठहराते हैं। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में 47 फीसदी लोगों ने बताया कि महंगाई पर नियंत्रण के लिए यूपीए सरकार द्वारा उठाए गए कदम कुछ हद तक ही कारगर सिद्ध हुए हैं।

केन्द्र सरकार द्वारा लाए जाने वाले खाद्य सुरक्षा एवं 'सिटीजन चार्टर' विधेयक को ज्यादातर लोगों ने एक सराहनीय कदम बताया।

युवाओं के लिए खुले रोजगार के द्वार

ग्रामीण युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के बजट में 'मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना' शुरू करने की घोषणा एक सराहनीय कदम है। इस योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार की राह पर आगे बढ़ाने की एक नई पहल की गई हैं। इस योजना पर 150 करोड़ रुपए खर्च कर एक लाख ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

आरआरएलपी, एनआरएलपी व एमपॉवर योजना के तहत 300 करोड़ रुपए से तीन लाख ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु लाभान्वित किया जाएगा। मुख्यमंत्री का मानना है कि इससे गांव के पढ़े-लिखे युवा रोजगार के लिए अब शहरों की तरफ नहीं भागेंगे। इसके अलावा बेरोजगार स्नातकों जिनकी पारिवारिक आय एक लाख तक है उन्हें 500 रुपए प्रतिमाह का बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान भी बजट में है।

गांव और किसान को फायदा

राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को भवन निर्माण के लिए राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ ने बीमा निगम से ऋण लेकर वर्ष 1971-72 से वर्ष 1993-94 तक की अवधि में ऋण उपलब्ध करवाया था। ये लोग ऋण और उस पर ब्याज चुकाने में असमर्थ थे। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने करीब 15 हजार परिवारों को बकाया ऋण व ब्याज माफ कर उन्हें राहत दी है।

सरकार ने आगामी वर्ष में एक लाख रुपए तक के फसली ऋण समय पर चुकाने पर किसानों को पूरी की पूरी ब्याज राशि अनुदान के रूप में देने की घोषणा की है। सहकारी संस्थाएं इस साल करीब 8 हजार करोड़ रुपए के ऋण उपलब्ध कराएगी। किसानों को खाद, कीटनाशकों व डीजल पर खास छूट की आशा थी लेकिन यह उम्मीद पूरी नहीं हुई।

सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं

मुख्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों का गठन महिला सशक्तिकरण का आधार है। राज्य में दो लाख से भी ज्यादा स्वयं सहायता समूह गठित हो चुके हैं, जिनमें 20 लाख महिलाएं जुड़ी हैं।

इस कार्यक्रम को और मजबूती देने के लिए प्रत्येक जिले के एक-एक ब्लॉक में धन लक्ष्मी महिला समृद्धि केन्द्र स्थापित होंगे। इनके माध्यम से महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा और उत्पादित माल के विपणन की व्यवस्था की जाएगी।

पशुओं के लिए मिलेगी मुफ्त दवा

बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की तर्ज पर सभी राजकीय पशु चिकित्सालयों में पशुधन की चिकित्सा के लिए सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाली दवाएं मुफ्त देने की घोषणा की है। इससे प्रदेश के किसानों को भी सहयोग पहुंचेगा। प्रदेश में 400 स्थानों पर नए पशु चिकित्सा उपकेन्द्र स्थापित किए जाएंगे।

इसके साथ ही 200 पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाएगा। जोधपुर में पशुपालन प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की जाएगी। दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए पाली में पशुआहार प्लांट और जयपुर में पाउडर दुग्ध प्लांट लगाए जाएंगे। पशु पालन कार्यक्रम के तहत 400 एकड़ में सेवण घास उत्पादन को भी शामिल किया गया है।

गांव ढ़ाणियों तक बिजली व पेयजल

प्रदेश के बजट में 20 पेयजल योजनाओं के लिए 3 हजार 796 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश की दो हजार 569 गांव ढ़ाणियों में पीने का शुद्ध पानी मुहैया कराया जाएगा। इसके अलावा साढ़े सात हजार अनुसूचित जाति, 300 अनुसूचित जन जाति तथा 120 अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में साफ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।

विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए उच्च तकनीक के संयत्रों की स्थापना की जाएगी। प्रदेश के 6 हजार गांवों और ढ़ाणियों को बीसलपुर से पेयजल देने के लिए 125 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। गांव-ढ़ाणियों तक बिजली पहुंचाने के लिए 1456 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। किसान अनुदानित सौर ऊर्जा से पंप चला सकेंगे।

विशेष योग्य छात्रों को लेपटॉप

मुख्यमंत्री ने बजट में राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना लागू करने का प्रस्ताव किया है। इसके तहत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दसवीं व बाहरवीं कक्षा की परीक्षा में मेरिट के अनुसार पहले 10-10 हजार छात्रों को पुरस्कार के रूप में लेपटाप दिए जाएंगे।

इसके अलावा प्रदेश के सभी 24 हजार राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रत्येक विद्यालय में आठवीं कक्षा में प्रथम स्थान पाने वाले विद्यार्थी को अर्थात 24 हजार विद्यार्थियों को विशेष लर्निंग लैपटॉप पुरस्कार में देने का प्रस्ताव रखा है।

काला धन राष्ट्रीय सम्पत्ति

विदेशों में काला धन जमा कराने के पीछे लोगों की दोषपूर्ण मंशा रही है। ऐसे काले करनामें करने वालों का धन राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित कर जब्त कर लेना चाहिए। दोषियों पर जुर्माना भी लगाना चाहिए। क्योंकि, इस धन की जांच में सरकार के करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, इसे दोषी लोगों से वसूला जाना चाहिए।

- के.एम. शर्मा, आदर्शनगर, पाली

मेरे विचार से विदेशी बैंकों में जमा काले धन को भारत में लाकर राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित की जाए। उस धन को शिक्षा, चिकित्सा एवं समाजोपयोगी कामों में खर्च करना चाहिए। इस धन से भारत विश्व में आर्थिक और प्रौद्योगिकी शक्ति के रूप में अपनी पहचान बना सकेगा।

- देवेन्द्र कुमार शर्मा, 22 गोदाम, जयपुर

विदेशी बैंकों में भ्रष्ट भारतीयों का काला धन जमा है। सरकार उन लोगों के नाम सार्वजनिक नहीं करना चाहती। सरकार स्विस बैंक से इसे वापस भारत लाए, फिर जिसका धन होगा टैक्स भरकर वापस ले सकेगा। अन्यथा उसे जब्त कर देश की जनहित योजनाओं के खाते में जमा कर दिया जाना चाहिए। पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओं ..

- सिन्धु उपाध्याय, अग्रवाल फार्म, जयपुर

'ग्राम गदर' पत्रकारिता पुरस्कारों की घोषणा

ग्रामीण पत्रकारिता को बढ़ावा देने की दृष्टि से वर्ष 2002 से आरम्भ 'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार प्रति वर्ष 13 अप्रेल के दिन घोषित किए जाते हैं। ये पुरस्कार उन श्रेष्ठ पत्रकारों को दिये जाते हैं, जिन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से जनहित के मामलों को असरदार तरीके से उठाया है। ये पत्रकार चाहे स्वतन्त्र रूप से पत्रकारिता करते हों, या फिर किसी समाचार पत्र से जुड़े हुए हो सकते हैं।

प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी वर्ष 2011 में उल्लेखनीय लेखन प्रकाशित करने वाले पत्रकारों से 'खाद्य सुरक्षा' विषय पर प्रविष्ठियां आमन्त्रित की गई थी।

प्राप्त प्रविष्ठियों में से श्रेष्ठ चयन के लिए ख्यातिप्राप्त वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र बोड़ा की अगुवाई में निर्णायक मंडल का गठन किया गया। निर्णायक मंडल द्वारा आम सहमति से बाड़मेर जिले के स्वतंत्र पत्रकार चूनाराम गोदारा को वर्ष 2011 के लिए 'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार हेतु चयनित किया गया है। श्री गोदारा को दस हजार रुपए का नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार का वितरण बाद में उचित समय पर किया जाएगा।

चूनाराम गोदारा बाड़मेर जिले के पनावड़ा गांव के मूल निवासी हैं तथा भारत पोस्ट, लॉग फायर, दैनिक भास्कर, हृदय देश एवं सीमान्त केसरी आदि पत्र-पत्रिकाओं के लिए अपने लेख लिखते हैं, जो कि जनहित के मुद्दों से सीधे जुड़े हुए होते हैं।

नरेगा योजना के तहत गांवों में सड़क

नरेगा योजना के तहत आगामी वर्ष में 250-500 की आबादी के 2900 गांवों को डामर सड़कों से जोड़ा जाएगा। इसके पहले चरण में 2012-13 में डामरीकृत सड़कों से 1500 गांवों को जोड़ा जाएगा। दूसरी ओर विश्व बैंक के सहयोग से 1400 गांवों को आगामी वर्षों में सड़कों से जोड़ दिया जाएगा।

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485